/विधिक / 22 / वि-3 / यायासे / 2016

विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा–3 (विधिक कक्ष) अनिल मेहरा उपयंत्री अधीक्षक-श्री अनिल उरकुढे प्रमारी अग्नि, का नाम-श्री ए.के. संतोषी

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायांसे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जान<u>े बावत्।</u>

कृपया विषयांतर्गत श्री ब्रजेश मिश्रा, उपपंजीयक मान. उच्च न्यायालय 🎷 🗀 🤔 बिलासपुर छत्तीसगढ़ से प्राप्त नोटिस का अवलोकन करना चाहेगे। नोटिस के माध्यम से प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 08.03.2016 के पूर्व जबाव प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है :-

- 1. याचिका श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायांसे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ द्वारा दायर की गई है।
- थरतासगढ़ द्वारा पायर यम पाउँ है। 2. विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2000 के द्वारा श्री मोहम्मद शहादत  $\frac{\rho}{2\nu}$ अंसारी उपयंत्री जनपद पंचायत दंतेवाडा को उनके द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य आवंदित कर जिला झाबुआ में पदस्थ किया ग्रया ।
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनदप पंचायत दंतेवाडा के आदेश दिनांक  $|m{p}|_{L}$   $^{2}$  $^{2}$ -31.10.2001 के द्वारा श्री अंसारी उपयंत्री की स्थापना जिला झाबुआ किये जाने के कारण दिनांक 31.10.2001 को भारमुक्त किया गया।
- 4. उपसचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 28.11.2001 को आदेश जारी कर विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2000 के द्वारा मोहम्मद अंसारी को राज्य पूर्नगटन प्रकोष्ट भोपाल से अंतिम सूची प्राप्त होने तक आगामी आदेश पर्यन्त मध्यप्रदेश राज्य भारमुक्त न किये जाने के निर्देश जारी किये। उक्त आदेश के परिपालन में श्री अंसारी यथावत् जनपद पंचायत दंतेवाडा में कार्यरत रहे।
- 5. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष २००८ में जारी उपअभियंताओं की वरिष्ठता सूची में श्री अंसारी का नाम शामिल नहीं किया गया। जिसके विरुद्ध श्री अंसारी ने छत्तीगढ़ राज्य के विरुद्ध याचिका क्र. ३३६४/२०१५ दायर की थी। याचिका का निराकरण करते हेतु मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 16.09.15 को याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के भारमुक्त करने के संबंध में कार्यपालन यंत्री को निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये।
- 6. संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 30.11.2015 को  $P/2^{3/3}$ आदेश जारी कर श्री मोहम्मद अंसारी को भारमुक्त करते हुए मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल को उपस्थिति देने के निर्देश दिये।

321/06/16 608/24/partic

विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा--3 (विधिक कक्त) अनिल मेहरा चपर्यत्री अधीक्षक--श्री अनिल उरकुडे प्रमारी अधि का नाम--श्री एके उ

प.क

/विधिक / 22 / वि-3 / ग्रायासे / 2016

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायांसे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बावत्।

पूर्व पृष्ठ :-

उपरोक्त भारमुक्ती आदेश के विरुद्ध श्री अंसारी द्वारा मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में याचिका दायर कर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य अभियंता, ग्रायांसे विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर, सचिव मध्यपूदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल, सचिव जन शिकायत एवं पेंशन निराकरण मंत्रालय नईदिल्ली एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसे संभाग दंतेवाडा छत्तीसगढ़ को प्रतिवादी बनाया है।

प्रकरण में विभाग की ओर से प्रतिरक्षण करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना चाहेगे।

SERES. Johnson O.J.C. A

Aproved

A Aproved

Children Carelinoterhoot doox (9)

Selection of the selection o

/विधिक / 22 / वि-3 / ग्राचारो / 2016

विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष) अनिल मेहरा उपयंत्री अधीक्षक—श्री अनित चरकुडे प्रमारी अधि. का नाम—श्री ए.के. संतोषी

विषय:-रिट पिदीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद सहायक यंत्री, ग्रायांसे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बादत्।

पूर्व पृष्ठ :-

N/2 & 35 35 35 35 50 DIC & 3135 - 3135 DIC & 3135 DIC &

N/2 सिर्च मही के अनुमार्क अनुमार 07 C SOEO, Rts. र्मिक्बिश्र के के अमेरिका जारी किसे जान है एं अन्त

(ए. के. संतोषी)

अधीक्षण यंत्री (स्थार्) प्राविष्ठिह N-2 पर खिळा मही के भ्रुमोड़न भनुरमा उपरोद्ध प्रकरता में आधीभण सेत्री सा मां सेवा मण्डल एक्लपु की प्रभारी उत्तिकारी लिसुक्त किये जले हेता आहेता का प्राक्त 393/ERAIN YR.JA 81

रने आ (दिशंख)

डप नियन मेला-ু শৃত্যুত কালিক ঘৃত্যুৰ্ব সাহ। প্ৰত্ৰিভ

J. C. ( (aw) on light

sc/motesheet.docx

23-Feb-16

/विकिक / 22 / वि-3 / ग्रायासे / 2016

विकास आयुक्त कार्यालय विकास शाखान्त्र (विधिक कक्ष) अनिल मेहरा उपयंत्री अधीककम्त्री अनिल उरकुढे प्रमारी अधि. का नामम्त्री ए.के.

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत अंसारी सहायक यंत्री, ग्रायांसे दंतेवाडा छत्तीसगढ़ विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बावत्।

पूर्व पृष्टः :-

-522 Taring man Mah.

No. 1. 6.722/0-16/13.9.72016

विभागीय आदेश क. 3091 दिनांक 08.03.16 द्वारा रिट पिटीशन क. 18/2016 (एस) श्री मोहम्मद शहादत असारी, सहायक यंत्री, ग्रा.यां.से. दंतेवाडा छत्तीसगढ विरुद्ध छत्तीसगढ शासन एवं अन्य में अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। <u>प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित की जाना प्रस्तावित है।</u>

संयुक्त आयुक्त (विधि)

<u> उप टर्गमण</u> प्रकार मार्गिश्व

Dy. Seey. (Law)

10/3/16

15-3-16

603r

8097

e/old data/aklesh/mehra/court case/notesheet.docx

notice(writ section)

51/1/2012016

http://192.168.1.11/bilaspurhc/processserver/writ\_notic...

The case is fixed for convolc

(503/2016)

NOTICE ON - Merit 77/8

IN THE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

No. WPS-18 of 2016

From:

Brajesh Mishra Deputy Registrar High Court of Chhattisgarh;

Bilaspur (C.G.)

To,

The State Of Madhya Pradesh, Department of Panchayat and Rural Development, Vallabh Bhawan, Bhopal ( Madhya Pradesh).

Bilaspur 18/01/2016

प्रमुख्य अधिर Subject:

্র্টিরেস অসী 🕽

Notice to Respondent No. 3 in Writ Petition (Habeas Corpus/Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No WPS - 18 of 2016.

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Mohd. Shahadat Ansari has/have filed a petition under Article 226/227 of the Constitution of India (Copy Enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Habeas Corpus/Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WPS - 18 of 2016.

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged advocate on or before 08/03/2016, if no return is filed as aforesaid the petition will be heard and decided ex parte.



Enclosure: Copy of Petition with annexure.



OIC

## IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

8 of 2016 Writ Petition (S) No.

PETITIONER : Mohd. Shahadat Ansari

<u>VERSUS</u>

RESPONDENTS : State of Chhattisgarh & others

## INDEX

01. 02.	Synopsis Writ petition U/A 226 of the	ANNEX.	PAGE NO
<u>-</u>	Writ petition U/A 226 of the		AtoB
02.			
	Constitution of India alongwith  Certificate & Affidavit	tion of India alongwith	
03.	A copy of order dated 15.12.2000	P/1	15 to 16
04.	A copy of relieving order dated 31.10.2001	P/2	17
05.	A copy of order dated 28.11.2001	P/3	18
06.	A copy of representation dated 10.02.2010	P/4	19 (o19A
07.	A copy of representation dated 18.10.2011	P/5	20
I .	A copy of representation dated 11.03.2015	P/6	21
09.	A copy of memo dated 17,03,2015	P/7	22

10.	A copy of order dated 17.08.2015	P/8	23	
11.	A copy of order dated 16.09.2015	P/9	24/025	
12.	A copy of order dated 02.11.2015	P/10	26 6 27	
13.	A copy of representation dated 06.11.2015	P/11	28	
14.	A copy of impugned order dated 30.11.2015	F/12	29 6 30	
15.	A copy of representation dated 17.12.2015	P/13	31632	
16.	Application for grant of ad-interim relief with affidavit		33 634	
17.	Vakalatnama		35	

BILASPUR

DATE: 03.01.2016

(BHARAT RAJPUT)
COUNSEL FOR THE PETITIONER

y'alo-812



4

# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.) Writ Petition (S) No. 1 0 of 2016

**PETITIONER** 

Mohd. Shahadat Ansari

**VERSUS** 

RESPONDENTS

State of Chhattisgarh & others

## SYNOPSIS

The petitioner is working and rendering his services in the State of Chhattisgarh since 1990 as Sub Engineer in the Rural Engineering Services Department, Bastar Region of erstwhile State of Madhya Pradesh. After reorganization of erstwhile State of Madhya Pradesh and formation of Chhattisgarh State, by virtue of State Reorganization Act. 2000, the authority directed the petitioner to submit his option regarding posting and the petitioner opted for State of Madhya Pradesh and accordingly vide order dated 15.12.2000 the services of petitioner was allocated to the State of Madhya Pradesh and posted him from Dantewada to Jhabua. Pursuant to aforesaid order dated 15.12.2000, the petitioner was relieved for State of Madhya Pradesh at Jhabua vide order dated 31.10.2001. subsequently vide order dated 28.11.2001, the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department directed that the petitioner shall not be relieved till receiving final list from the State Reorganization Cell, Bhopal and accordingly petitioner was continued in the State of Chhattisgarh, without any hurdle, protest or complaint.

In the year 2011, the petitioner made representation for inclusion of his name in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh and subsequently requested for promotion on the next higher post. On the representation of petitioner, the respondent no. 5 recommended for inclusion of name of petitioner in seniority list.


However surprisingly vide order dated 17.08.2015, the respondent no. 2 directed the respondent no. 5 for relieving the petitioner for State of Madhya Pradesh. Being aggrieved by the aforesaid order dated 17.08.2015, the petitioner filed a Writ Petition bearing Writ Petition (S) No. 3364 of 2015, before the Hon'ble Court and vide order dated 16.09.2015, the said writ petition was dismissed by the Hon'ble Court, by holding that the petitioner has not assailed the order of

allocation, therefore the writ petition is not maintainable in its present form. Being aggrieved by the order dated 16.09.2015, the petitioner filed Writ Appeal No. 524 of 2015 before the Hon'ble Division Bench of this Hon'ble Court and the same was dismissed as withdrawn vide order dated 02.11.2015 with liberty to pursue matters in a departmental representation.

Accordingly the petitioner filed detailed representation before the respondent no. 1 & 2, whereby requested to permit him to continue in the State of Chhattisgarh., but vide impugned order dated 30.11.2015, the respondent no. 1 has relieved the petitioner for State of Madhya Pradesh. Hence this petition.

DATE		<u>EVENTS</u>
15.12.2000	:	Petitioner was allocated to the State of M.P.
31.10.2001	:	Petitioner was relieved for the State of M.P.
28.11.2001	;	The Deputy Secretary, Government of
		Chhattisgarh, Panchayat and Rural
		Development Department directed that the
	İ	petitioner shall not be relieved till receiving
		final list from the State Reorganization Cell,
	<u> </u>	Bhopal.
18.10.2011	:	Petitioner filed representation for inclusion
		of name of petitioner in the seniority list of
		Sub-Engineer of State of Chhattisgarh.
11.03.2015	;	Petitioner filed representation for inclusion
		of his name in the seniority list of Sub-
		Engineer of State of Chhattisgarh and
Ì		further for consideration of his case for
		promotion to the next higher post.
17.03.2015	:	Respondent no. 5 was recommended for
	١,	inclusion of his name in the seniority list of
	ĺ .	Sub-Engineer.
17.08.2015	;	Respondent no. 2 directed for relieving of
		petitioner for State of M.P.
16.09.2015	T: .	Order passed by the Hon'ble Court in Writ
		Petition (S) No. 3364 of 2015.
02.11.2015	:	Order passed in Writ Appeal No. 524 of
		2015.
06.11.2015	:	Petitioner made representation.
30.11.2015	:	The respondent no. 1 relieved the petitioner
		for State of M.P
		/// =

BILASPUR DATE: 03.01.2016 (BHARAT RAJPUT)
COUNSEL FOR THE PETITIONER



# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

Writ Petition (S) No. 18 of 2016

## PETITIONER

Mohd. Shahadat Ansari, aged about 59 years, son of late Jamaluddin, posted as Assistant Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division, District-Dantewada (C.G.)

## **VERSUS**

## RESPONDENTS

- :1. State of Chhattisgarh
  Through the Secretary,
  Panchayat and Rural
  Development Department,
  Mahanadi Bhawan, Mantralaya,
  New Raipur (C.G.)
- 2. The Chief Engineer, Rural Engineering Services, Office of Development Commissioner, Chhattisgarh, New Raipur (C.G.)
- 3. The State of Madhya Pradesh, Department of Panchayat and Rural Development, Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.)
- 4. Union of India, through the Secretary, Personnel, Public Grievance and Pension Mantralaya, Personnel & Training Department, Third Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi
- 5. The Executive Engineer, Rural Engineering Services, Dantesada Division, District-Dantewada (C.G.)

## WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

PARTICULARS OF THE PETITIONER:



1

3

02.11.2015 with liberty to pursue matters in a departmental representation.

Accordingly the petitioner filed detailed representation before the respondent no. 1 & 2, whereby requested to permit him to continue in the State of Chhattisgarh., but vide impugned order dated 30.11.2015, the respondent no. 1 has relieved the petitioner for State of Madhya Pradesh. Hence this petition on the following facts & grounds:

# 4. WHETHER CAVEAT FILED, IF YES, WHETHER COPY OF THE PETITION SUPPLIED TO THE CAVEATOR:

That, as per knowledge of the petitioner, till date no caveat has been filed and copy of the any caveat application has not been received by the petitioner.

## DETAILS OF REMEDY EX-HAUSTED: -

The petitioner has no other alternative efficacious remedy except to approach this Hon'ble Court under Article 226 of the Constitution of India.

## 6. MATTER NOT PREVIOUSLY FILED WITH ANY OTHER COURT OF LAW:-

The petitioner declares that the matter regarding which this petition has been made is not pending with any other Court/Tribunal etc.

### 7. DELAY IN FILING IN THIS PETITION:-



That, the petitioner declares that there is no delay in filing the instant petition.

## 8. FACTS OF THE CASE :-

- 8.1 That, the petitioner is a citizen of India and as such he is entitled to have all such benefits as have been enshrined upon him by the Constitution of India.
- 8.2 That, the petitioner was duly appointed on the post of Sub-Engineer in the year 1981 and he joined the services on 05.09.1981, in the erstwhile State of Madhya Pradesh.
- 8.3 That, the petitioner is working and rendering his services in the State of Chhattisgarh since 1990 as Sub Engineer in the Rural Engineering Services Department, Bastar Region of erstwhile State of Madhya Pradesh.
- 8.4 That, from 1981 to September, 1990, the petitioner was served as Sub-Engineer in the erstwhile State of Madhya Pradesh.
- 8.5 That, after reorganization of erstwhile State of Madhya Pradesh and formation of Chhattisgarh State, by virtue of State Reorganization Act, 2000, the authority directed the petitioner to submit his option regarding posting and the petitioner opted for State of Madhya Pradesh and accordingly vide order dated 15.12.2000 the services of petitioner was allocated to the State of Madhya Pradesh and posted him from Dantewada to

Jhabua. A copy of order dated 15.12.2000 is annexed herewith as **ANNEXURE P/1**.

- 8.6 That, pursuant to aforesaid order dated 15.12.2000, the petitioner was relieved for State of Madhya Pradesh at Jhabua vide order dated 31.10.2001. A copy of relieving order dated 31.10.2001 is annexed herewith as **ANNEXURE P/2**.
- 8.7 That, however subsequently vide order dated 28.11.2001, the Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department directed that the petitioner shall not be relieved till receiving final list from the State Reorganization Cell, Bhopal. A copy of order dated 28.11.2001 is filed herewith as ANNEXURE P/3.
- 8.8 That, accordingly the petitioner has been permitted to continue in the Janpad Panchayat Dantewada, State of Chhattisgarh.
  - That, as the petitioner was continued in the State of Chhattisgarh, without any hurdle, protest or complaint, therefore on 10.02.2010, the petitioner filed a representation before the respondents no. 1 & 3, whereby requested for allocation his services to the State of Chhattisgarh, as the petitioner is served for about 10 years in the State of Chhattisgarh after reorganization of State of Chhattisgarh. A copy of representation dated 10.02.2010 is annexed herewith as ANNEXURE P/4.




- **€**
- 8.10 That, on 18.10.2011, the petitioner filed another representation before the respondent no. 2 for inclusion of name of petitioner in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh. A copy of representation dated 18.10.2011 is annexed herewith as ANNEXURE P/5. It is noteworthy to mention here that the representation of petitioner was communicated to the Executive Engineer, Rural Engineering Services and the Executive Engineer recommended for inclusion of name of petitioner in seniority list.
- 8.11 That, thereafter on 11.03.2015, the petitioner filed another representation for inclusion of his name in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh and further for consideration of his case for promotion to the next higher post. A copy of representation dated 11.03.2015 is annexed herewith as ANNEXURE P/6.
- 8.12 That, on the representation of petitioner, vide memo dated 17.03.2015, the Executive Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division has recommended the respondent no. 2 for inclusion of name of petitioner in the seniority list of Sub-Engineer of State of Chhattisgarh. A copy of memo dated 17.03.2015 is annexed herewith as ANNEXURE P/7.
- 8.13 That, all of a sudden vide order dated 17.08.2015, the respondent no. 2 directed the respondent no. 5 for

(8)

relieving the petitioner for State of Madhya Pradesh. A copy of order dated 17.08.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE P/8**.

- 8.14 That, being aggrieved by the aforesaid order dated 17.08.2015, the petitioner filed a Writ Petition bearing Writ Petition (S) No. 3364 of 2015, before the Hon'ble Court and vide order dated 16.09.2015, the said writ petition was dismissed by the Hon'ble Court, by holding that the petitioner has not assailed the order of allocation, therefore the writ petition is not maintainable in its present form. A copy of order dated 16.09.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE P/9**.
- 8.15 That, being aggrieved by the order dated 16.09.2015, the petitioner filed Writ Appeal No. 524 of 2015 before the Hon'ble Division Bench of this Hon'ble Court and the same was dismissed as withdrawn vide order dated 02.11.2015 with liberty to pursue matters in a departmental representation. A copy of order dated 02.11.2015 is annexed herewith as ANNEXURE P/10.
- 8.16 That, accordingly the petitioner filed detailed representation before the respondent no. 1 & 2, whereby requested to permit him to continue in the State of Chhattisgarh. A copy of representation dated 06.11.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE P/11**.
- 8.17 That, however vide impugned order dated 30.11.2015, the respondent no. 1 has relieved the petitioner for



State of Madhya Pradesh. A copy of impugned order dated 30.11.2015 is annexed herewith as **ANNEXURE P/12**.

- 8.18 That, it is respectfully submitted that in the impugned order, there is no mention that the final list has been received from the State Reorganization Cell, Bhopal, though the earlier the petitioner was continued on the ground that no final list from the State Reorganization Cell, Bhopal is received and directed by respondent no. 1 that till receiving final list, the petitioner shall not be relieved.
- 8.19 That, it is further submitted that the petitioner has been served for more than 15 years in the State of Chhattisgarh after formation of State of Chhattisgarh and he is going to be retired from service with effect from 30.06.2017, therefore if the petitioner is relieved from the State of Chhattisgarh and join in the Madhya Pradesh, it will create hardship and hurdle in finalization of pension and other monetary dues payable to the petitioner.
- 8.20 That, therefore raising above issues, the petitioner filed representation before the respondent no. 3, whereby requested that he may be permitted to serve in the State of Chhattisgarh till his superannuation, as only 1½ years services of petitioner are remained, but till date no decision has been taken on the representation of petitioner. A copy of representation

received and directed by respondent no. 1 that till receiving final list, the petitioner shall not be relieved.

- 9.4 Because, the petitioner has been served for more than 15 years in the State of Chhattisgarh after formation of State of Chhattisgarh and he is going to be retired from service with effect from 30.06.2017, therefore if the petitioner is relieved from the State of Chhattisgarh and join in the Madhya Pradesh, it will create hardship and hurdle in finalization of pension and other monetary dues payable to the petitioner.
- 9.5 Because, the petitioner was not relieved for State of Madhya Pradesh for about 15 years after formation of State of Chhattisgarh and the impugned relieving order has been passed at the fag end of service of petitioner.
- 9.6 Because, the impugned relieving order has been passed by the respondent no. I with malafide intentions, as the petitioner filed representations for inclusion of his name in the seniority list and for considering his case for promotion on the next higher post.
- 9.7 Because, from a bare perusal of impugned allocation order dated 15.12.2000, it is evident that the same is passed by the respondent no. 3, however according to the State Reorganization Act, 2000 particularly the

D

Section 68 to 72 have vested the powers of allocation of employees to the Central Government.

- 9.8 Because, the petitioner has filed representation before the respondent no. 3, whereby requested that he may be permitted to serve in the State of Chhattisgarh till his superannuation, as only 1½ years services of petitioner are remained, but till date no decision has been taken on the representation of petitioner.
- 9.9 Because, no action was taken for relieving of petitioner for State of Madhya Pradesh for about 15 years after formation of State of Chhattisgarh, therefore now the petitioner cannot be relieved, as the impugned allocation 15.12.2000 has no effect.
- 9.10 Because, any other grounds will be raised at the time of hearing.

#### 10. RELIEF SOUGHT :-

In view of the facts and grounds, the petitioner craves for the kind indulgence of this Hon'ble Court for the following relief(s):-

10.1 That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to setaside the impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015 and further be pleased to direct the respondent authorities to permit the petitioner to continue in the State of Chhattisgarh, till his superannuation. Section 68 to 72 have vested the powers of allocation of employees to the Central Government.

- 9.8 Because, the petitioner has filed representation before the respondent no. 3, whereby requested that he may be permitted to serve in the State of Chhattisgarh till his superannuation, as only 1½ years services of petitioner are remained, but till date no decision has been taken on the representation of petitioner.
- 9.9 Because, no action was taken for relieving of petitioner for State of Madhya Pradesh for about 15 years after formation of State of Chhattisgarh, therefore now the petitioner cannot be relieved, as the impugned allocation 15.12.2000 has no effect.
- 9.10 Because, any other grounds will be raised at the time of hearing.

## 10. RELIEF SOUGHT :-

In view of the facts and grounds, the petitioner craves for the kind indulgence of this Hon'ble Court for the following relief(s):-

10.1 That, this Hon'ble Court may kindly be pleased to setaside the impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015 and further be pleased to direct the respondent authorities to permit the petitioner to continue in the State of Chhattisgarh, till his superannuation.

(18) (38)

10.2 That, any other relief/order which may deem fit and just in the facts and circumstances of the case including award of the costs of the petition may be given.

An affidavit in support of the petition is filed herewith.

BILASPUR

(BHARAT RAJPUT)

DATE: 03.01.2016

COUNSEL FOR THE PETITIONER

## **CERTIFICATE**

It is certified that due care has been taken in the case to comply with provisions of Chhattisgarh High Court Rules.

BILASPUR


(BHARAT RAJPUT)

DATE: 03.01.2016

COUNSEL FOR THE PETITIONER









## IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

Writ Petition (S) No.

<u>PETITIONER</u>

Mohd. Shahadat Ansari

RESPONDENTS

State of Chhattisgarh & others

## <u>AFFIDAVIT</u>


I, Mohd. Shahadat Ansari, aged about 59 years, son of late Jamaluddin, posted as Assistant Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division, District-Dantewada (C.G.), do hereby solemnly affirm on oath as under :-

- That, I am the petitioner in the instant writ petition 1. and as such I am fully conversant with the facts and circumstances of the case.
- That, the accompanying writ petition, has been 2. drafted as per my instructions and the contents thereof from paras 1 to 10 are true and correct to my personal knowledge based on records.

#### **VERIFICATION**

I, Mohd. Shahadat Ansari, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from para 1 & 2 are true and correct to my personal knowledge. Hence verified and signed on 03.01.2016 at Bilaspur (C,G,)

identified by me





पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ANNEXURE P

भोपाल, दिनांक 15 दिसंबर, 2000

ल्. **5989** /1432/22/बि-3/ग्रायासे/2000,

-:: आदेश ::-

्र ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को निम्नलिखित उपयंत्री वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में पदस्थ इ 🖟 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में सेवा का विकल्प प्रस्तुत किया गया है । अतः निम्नलिखित उपयंत्रियों का ए छिदेश राज्य में सम्मुख दर्शाये स्थान पर पदस्थ किया जाता है -

	उपयंत्री का नाम	वर्तमान पदस्थापना, जिला	मध्यप्रदेश में पदस्थापना जिला
	2	3	, 4
· .	श्री आर.पो.त्रिपाठी	कोरबा	हरवा
-, 🕇	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	दुर्ग	रायसेन
7. 🕇	श्री सुखदेव विसेन्द्रे	जशपुर	खरगौन
	श्री प्रेम लाल पड्वार	बिलासपुर	सीधी
<del>-  </del>	श्री छोटेलाल	"लेबाड्र"	ह्यदिश <u>ी</u>
6	श्री संजय सय	कोरिया	. शिवपुरी
7	श्री एन.पी.सिंगोरे	कोरबा	रीवा
8	श्री एस.एल.इनवाती	सरगुजा	बालाधार
9	श्री आर.डी.बघेल	कोरया	ঝলাঘাট
16	श्री अशोक कुमार अठैया	सयगढ्	पन्ना
17	श्रो जी.सी.श्रीवास	सरगुजा	झाबुआ
10	श्री गेंदालाल पटेल	दंतेवाडा	रीवा -
13	श्री एस.पी.सिंह	सरगुजा	सीधी
10	श्री मुभाष चंद्र दीक्षित	बिलासपुर	झायुआ
1.5	श्री पो.एस.ठाकुर	कांकर	झाबुआ
16	श्री आर.पी.मेहरा	कोरिया	झाबुआ
17	श्री जी.एस.वाबरिया	सरगुजा	झावुआ
ī:	की जीएम, सिंह	कारिया	शहडोल
<b>)</b> 0	श्रो बनारसी लाल गुप्ता	बिलासपुर	् रीवा
	श्री अरविंद कुमार पटेल	विलासपुर	सीधी
21	श्री राजेन्द्र कुमार दमाहे	राजनांदगांव	झाबुआ
2.2	श्री व्ही.के.पसीन	काकर	धार
2	मो. युनीस मंसूरी	बस्तर	झाबुआ
. 2.	श्री के.एल.सदाफल	राजनांदगांव	बालाघाट
2	श्री हरगोविंद चौर/सया	कांकर	् पन्ना
·-	मो. असलम खान	<u>दुर्ग</u>	ः इत्रावुआ र

Υ_		_ (6) 4	<del>)</del> *****	·.	<del></del>	
J <u>27</u>	मो. शहरत अंसारी	देतेवाडा		झाबुआ		· · ·
28	श्री हरेन्द्र सिंह यादव	बस्तर		झाबुआ	₹.1	-
29	श्री एन.जी. डिंग्वेकर	कोरिया		झाबुआ	<del></del> :	
30	श्री एस.के.पांडे	रायपुर		नरसिंहपुर	· · ·	
31	श्री सैय्यद अनवर अली	राजनोदगांव	1.74	झाबुआ	<del>-</del>	
32	श्री बंश गोपाल अग्रवाल	दंतेबाडा		पन्ना		7
33	श्री के.के.पाठक	बस्तर		दतिया	· . · · · · · ·	
34.	श्री सी.पी.सी.चौहान	कोरिया		भार	<del></del>	<del></del>
35	श्री ए.के.अंसारी	सरगुजा		मण्डला		
36	श्री तापोस सरकार	ক্র্থা	:	सिवनी	<del></del> , ·	·
	··· <del>·</del>	<del></del>	<u> </u>	· · · · · ·	-	

उपरोक्त उपयंत्री छत्तीसगढ़ राज्य से कार्यमुक्त होने पर सम्मूख दर्शित जिले में ग्रामीण यात्रिकी सेवा, ख्यालय के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

> (बादल के.दास ) प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

.क. 5990 /22/वि-3/ग्रायासे/2000,

तित्विप----

भोपाल, दिनांक 15 दिसंबर, 2000

1. प्रमुख सिवव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.बि. राज्य पुर्नगठक ग्रकोष्ठ मेंतालय भोपाल ।

2. प्रमुख सचिव, सा.प्र.वि. छत्तीसगढ़ शासन, डो.के.भवन, रायपुर

3. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय डी.के.भवन, रायपुर, छत्तीसमढ् शासन की ओर सूचनार्थ ।

4. कमिश्नर, रीवा, जबलपुर, भोपाल, सागर, इंदौर, उज्जैन, रायपुर, बिलासपुर, ग्वालियर एवं बस्तरे

5. कलेक्टर,(संबंधित) ------ मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ् ।

7. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिको सेवा, मण्डल कार्यालय रीवा, जबलपुर, भोपाल, सागर, इंदौर, उज्जैन, समपुर, विलयर एवं बस्तर

8. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग (संबंधित)

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ् ।

Jana

उपसचिव अपसचिव मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

SDO-Sub-Eng--2

2

(22)

ANNEXURE P-2

कार्यास्त्र क्यांद र्थापत ल्लेबाड्डा किया-क्योंगाहा

## //3tm//

pater Autorate/2001 after a rest

पष्ठ अदिश्व तत्काल उमाध्योन धीया ।

मुख्य वार्थियांचन अधिकारी जनवद वैधाला पन्तिसङ्ग

कुछ मिष्ठ कार्या एवं जाना क हार्यन हो है।

- मुनुव सचिव कैरायत स्थे ग्रामीय िस्तत विवास बीवात मानुव •
- 2. प्रभा तथिय वैदायत एवं प्राचीन विकास विभाग रायद्वर प्रतानिकार-
- अवोच्छा पेनी moundain बस्तर मेडल कादातुर.
- वार्यमालन देशों जा- जी- तिया विवास दनीताहा/कायुवा की और-
- 5. पुरुष कार्यवासन अध्यारी जिला वैज्ञायत सन्तेथाहा/शाप्तुमा की और-
- अमुक्तिकाचीय अधिकारी हार वार्तिक वन्तेयाहा •
- को एक)पराठकेतारो, उत्तरी कार्यात्व कारण वेगवत वनीताहा को तुक्तार्थ एवं राजनार्थ ।

पुत्रप कार्यमाला अधिकारी १९४८ विकास

বেশীলভূম





## ANNEXURE P.

ज्लाहितक सार्वा, पंचायत एवं ग्राक्षाण विकास विभागः

रायपुर दिल

## ः अप्रदेश ::

नव्यक्रदेश जातते पंजायल एवं ग्रामीण जिल्लास विकास भीजाल के आदेश प्रमान 59897/22/वि-इ/आशास्त्र/2000 विवर्ध 15-12-2000 के प्रभाव-27 पर बन्ति थे। मोहन े बैसारी उपवेशी आर्मीण यापिकी कैया जनमूद पंचायत दितवाड़ा लिखा दितवाड़ा की राज्य 'पूर्नगठन प्रकोष्ठ भौपाल है। अतिम दूधी प्राप्त होने तक जागामी बादेश पर्यन्त मध्यप्रदेश र्शाज्य हेतु भारमुक्त न क्रिया जाते ।

उप सचिव.

छत्तं सग**द शास्त**्

पैवायत एवं ग्रामीय विकास विभागः

प्रकृत 5245 /वि-2/ग्राय रि/2001. प्रतिलिपि:

रायपुर

বিনার 28-11-201

मान० मुख्यमंद्वीजी, के निसं सन्वित की और नोट्सीट क्रमांक 2545/व्हीं साईपीर ली एमएच∕०। दिनांक 24-11-2001 के लंदर्भ में सूचनार्थ। वायुक्त, बस्तर है गग बस्तर के और दूवनार्थ अधीक्षण बंबी, आमीण याँचिकी तैया मंज्य अधीत्य वस्तर की और सुवनार्थी।

मुक्का **ार्यपात्मा अधिकार**ि, विका पंचायत दरिकाङ्ग की और सूचवार्थ एवं जाजर ार्चवारी हेतु कोषिस ।

मुख्य आर्चपंत्रकन विकासरी। अन्यव जैनात्म दिख्यका विकास दिखाङ्ग कर वोस्त् पर्य जनसम्बद्धाः सार्यकृति हेनु श्रेकेस ।

वंत गोंचाम्म्य भेता ही, अपयंत्री आभीक वाजिस्की केंबा अग्राद जीवालत बतिवादा और ूबनार्थ-एश गास**नार्थ**ा

> छत्ती सग**्रशासन**. र्षचायल एवं अपमीन विकास विभाग

# O/c Arora P. J. Corry (13)

314

ANNEXURE P-4

मनाया प्रे वर्णाक विलाम विकाश अपाल प्राप्त विलाम विकाश

कार्य कार्य अगमीय विकास विमाश त्रांतम त्रं अगमीय विशास विमाश

विषय- का ज य अवन्य के संबंध में

अंग । अंडिक में अर्थ महार नाम म अपन- (5 प Const)

In som in wish

( 3/1 - 31 e 1 c h 2 - 411)

ध-यंदा ५

## टाईप कापी

प्रति,

- श्री मान विकास आयुक्त महोदय पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग भोपाल (म.प्र.)
- श्री मान विकास आयुक्त महोदय पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग सिविल लाइन रायपुर (छ.ग.)

## विषय - राज्य आवन्टन के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझे 12/2000 में मध्य प्रदेश राज्य आवन्टित किया गया था।

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के आदेश क. /5889/1432/22/विद /ग्रा.या.से./2000 भोपाल दिनांक 15 दिसंबर 2000 के आदेश का पालन करते हुये जनपद पंचायत दन्तेवाडा पत्र क. /1446/स्था/2001

दन्तेवाडा दिनांक 31/10/2001 के अनुसार भार मुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात छ. ग. शासन पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग के आदेश क /5245/विद/ग्रा.या.से. /2001 रायपुर दिनांक 28/11/2001 के अनुसार भार मुक्त ना करने का आदेश दिया गया इस आदेश का पालन करते हुये पुनः जनपद पंचायत दन्तेवाडा मे अपनी उपस्थिति देकर आज दिनांक तक कार्य कर रहा है कृपया मेरे आवेदन पर विचार करते हुये छ.ग.

## धन्यवाद

मो. शहादत अन्सारी उप अभियन्ता जनपद पंचायत दन्तेवाडा ANNEXURE

प्रति,

मुख्य अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय:- वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बावत । सन्दर्भ :- विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र कमॉक 2246/वि-2/ग्रा यां.सेवा / 2008 रायपुर दिनॉक 03,10.08

द्वारा :- कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा संमाग दन्तेवाड़ा ।

000

छपरोक्त सर्दिभित पन्न के सम्बंध में लिवेदन है कि आपके द्वारा प्रकाशित ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के छप-अभियताओं की दिनोंक 01.04.2908 की दरिष्ठता सूची में मेरा नाम शामिल नहीं है ।

कृपया वरिष्ठता सूची में मेरा नाम जोड़ने की कप्ट करें ।

शालांन :- सेवा पुस्तिका के प्रथम ---**मियुद्धि** की छाया-प्रति ।

दिनॉक - 18.10.2011

राहर<sub>ा प</sub>र्व्ह (से**व) शक्राल** 

(मो शाहादत अ उप अभियता

प्रार्थी

जनपद पंचायत दस्तियाङा जिला दक्षिण बर्खर इन्हेवाझ

Tive Engineer Rural Engineering Somice Ob.

ANNEXURE

मुख्य अभियंता महोदय ग्रामीण यात्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

विषयः∽

संदर्भ:-

वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बाबत्। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास रायपुर के आदेश कमांक

5245 / वि-2 / ग्रा.यां.सेवा / 2001 रायपुर दिनांक 28.11.2001

द्वारा :-

उचित माध्यम्।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आदेशानुसार मुझे राज्य पुनर्गठन प्रकोष्ठ भोपाल से अंतिम सूची प्राप्त होने तक आगामी आदेश पर्यन्त मध्यप्रदेश राज्य हेतु भारमुक्त ना करने का आदेश दिया गया था तद्नुसार मुझे भारमुक्त नहीं किया गया।

वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु मेरे द्वारा संभागीय कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दंतेवाड़ा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, संभागीय कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दंतेवाड़ा द्वारा पत्र कमांक 1784 / ग्रा.यां.सेवा / 2011 दंतेवाड़ा दिनांक 18.10.2011 के अनुशंसा सहित मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर को प्रेषित किया गया था।

पुनः आपसे निवेदन है कि वरिष्ठता सूची में भाग जोड़ने की कृपा करे। वरिष्ठता सूची में नाम ना जुड़ने के कारण पदोन्नति के लाभ से आज दिनांक तक वंचित हूँ।

> 173/15 (भो. र्राहादत अंसारी) प्र.सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा जिला दक्षिणं बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राथपुर की ओर सादर सूचनार्थ सचिव महोदय, संप्रेषित ।



प्र.सहायक अमियंता ग्रानीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

## ANNEXURE

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संमाग दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.)

मो.नं.—9479036821, ई मेल पता:— ee-res.Dantewada@nic.in

क्रमांक / 5 2 2- / स्था० / ग्रा.यां.सेवा / 2015

दंतेवाड़ा दिनांक-/7 /o3/2015

भुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर (छ.ग.)

विषय:-

वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बाबत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि श्री एम.एस. असारी प्रभारी सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दतेवाड़ा का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं आवेदन पत्र में वैरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने बाबत् निवेदन किया गया है आवेदन पत्र संलग्न कर वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने की अनुशंसा सहित आपकी और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

> 1>)03 ( संतोष नाग) कार्यपालन अभियन्ता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेवाड़ा जिला दक्षिण दस्तर दतेवाडा (छ०ग०) दंतेवाड़ा दिनाक-17 /03 / 2015

पू.क. / <del>5 2 3</del> / स्था० / ग्रा.यां.सेवा / 2015 प्रतिलिपि:--

01 / श्री एम.एस. अंसारी, प्रभारी सहायक अभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा संभाग दतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ।

D) 13 ( संतोषं नाग) कार्यपालन अभियन्तः

ग्रामीण यात्रिकी सेवा सभाग दतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ०ग०) redible Chhottisgarh

## विकास आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

ANNEXURE P-8

क्रमांक *\$\$*20/3277/स्था/22**/वि-3/ग्रायांसे**/15 रायपुर, दिनाँक **१**/08/2015

कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दंतेवाड़ा संभाग, दंतेवाड़ा

विषय:-श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता, ग्रामीण बांत्रिकी सेवा संभाग, दक्षेताड़ा के संबंध

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 1406/स्था./ग्रा.थॉ.से./2015, दिनांक 2 08.2015.

संवर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश पंचाकत एवं ग्रामीण विकास विमाग के पत्र क्रमांक 5989, दिनोंक 15 सितम्बर, 2000 की प्रति छपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार श्री मो. शहादत अंसारी, उपक्षभियंता द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विकल्प प्रस्तुत किया गया था, अतः इन्हें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत् जिला आबुआ (म.प्र.) में पदस्थ करते हुए कार्यपालन यंत्री कार्यालय में छपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तृत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

2/ अतः श्री मो. शहादत अंसीरी, उपअभियंता को मध्यप्रदेश राज्य के लिए भारमुक्त करें एवं श्री-अंकर्ता, उन्आभियंता को मध्यप्रदेश राज्य के लिए भारमुक्त वयों नहीं किया गया था, की जानकारी भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी


> (एक:एक:शिवास्तव) (०८)। पुख्य अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय अक्ट्रीसगढ, रायपर

पृ.क. \$\$.24 / 3277 / स्था / 22 / वि--- 3 / ग्रायांसे / 13 रायपुर, दिनाँक । 2-/ 08 / 2015 । प्रतिलिधः

1 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बस्तर मण्डल, जगदलपुर को सर्वनार्थ।

> मुख्य अभियता १) (०८)! मामीण यात्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय /८फरीसगढ, रायपुर

or Feference Ordinary/42614/2015





NAFR

## <u>HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR</u>

#### WPS No. 3364 of 2015

 Mohd, Shahadat Ansari S/o Late Jamaluddin, Aged About 58 Years Occupation-Service, Presently Working As Asstt. Engineer, In The Office Of Rural Engineering Services, Dantewada Division, Civil And Revenue District Dantewada, (Chhattisgarh)

--- Petitioner

#### Versus

- The State Of Chhattisgarh Through The Secretary, Department Of Panchayat Evam Rural Development, New Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Raipur, (Chhattisgarh)
- Chief Engineer, Rural Engineering Services, Commissioner, Chhattisgarh, Development -New (Chhattisgarh)
- The State Of Madhya Pradesh, Through The Secretary, Department Of Panchayat And Rural Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, (Madhya Pradesh)
- 4. The Union Of India, Through The Secretary, Department Of Personnel And Affairs Grievances Cell, New Delhi

--- Respondent



For Petitioners

For Respondent/State

For Respondent No.4

Mr. P.K. Tulsyan, Advocate

Mr. P.K. Bhaduri, Government Advocate

Mr. Ashwani Shukla, Advocate

## S.B.: Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra

### Order On Board


## 16/9/2015

Heard finally with the consent of learned counsel for the parties.

The petitioner would assall the order (Annexuré P/6) issued by the Chief Engineer, Rural Engineering Services, Chhattisgarh in the office of Development Commissioner, Chhattisgarh, whereby, the







257

20

Executive Engineer, RES, Dantewada Division has been directed to forthwith relieve the petitioner to enable him to join at Jhabua (M.P.), where, the petitioner has been posted on allocation of his services to the State of Madhya Pradesh.


- (3) It appears upon reorganization of the erstwhile State of Madhya Pradesh, the petitioner was allocated to the successor State of Madhya Pradesh, however, the petitioner continued in the State of Chhattisgarh.
- (4) The writ petition is not maintainable in its present form, inasmuch as, without assailing the order of allocation, the petitioner cannot independently challenge the communication, by which, the office of Development Commissioner, Chhattisgarh has directed the Executive Engineer to relieve the petitioner.
  - (5) Accordingly, the writ petition is dismissed, as not maintainable.


Sd/-

Judge

(Prashant Kumar Mishra)

Shyna





NAFR

## HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

#### Writ Appeal No. 524 of 2015

Mohd. Shahadat Ansari S/o Late Jamaluddin, Aged about 58 years, Occupation Service, presently working as Assistant Engineer in the office of Rural Engineering Services, Dantewada Division, Civil and Revenue District Dantewada (Chhattisgarh)

---- Appellant

#### Versus

- State of Chhattisgarh through Secretary, Department of Panchayat Evam Rural Development, Mahanadi Bhawan, Naya Mantralaya, New Raipur, District Raipur, Chhattisgarh.
- 2. Chief Engineer, Rural Engineering Services Office of development Commissioner, Chhattisgarh, New Raipur, Chhattisgarh.
- 3. The State of Madhya Pradesh Through Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Vallabh Bhawan, Bhopal, Madhya Pradesh.
- The Union of India, Through the Secretary, Department of Personnel & Affairs Grievances Cell, New Delhi.

--- Respondents

For Appellant For Respondents 1 & 2/State Shri Sanjay Patel, Advocate.

Shri Vinod Deshmukh, Deputy Advocate

Government,

## Hon'ble Shri Navin Sinha, Chief Justice Hon'ble Shri P. Sam Koshy, J.

#### Order on Board

## Per Navin Sinha, Chief Justice

#### 02/11/2015

- 1. After some argument, leave is sought to withdraw the appeal to pursue matters in a departmental representation.
- 2. We make no observations with regard to the same.
- The writ appeal is dismissed as withdrawn.

Sd/-(Navin Sinha) CHIEF JUSTICE

Sd/-(P. Sam Koshy) JUDGE

विकासिक स्थापन पुरस्य गतिनिक्तिकार विकासिक स्थापन

Amit



Express/48352/2015

Express/46392/2015				
02/11/2015	(1) Application received on			
03/11/2015	(2) Applicant fold to appear on			
04/11	(3) Applicant appeared on			
2/11/15	(4) Application (With or without further or correct particulars) sent to record-room			
ylulis	(5) Application sectived from record- room with record or without record for further or correct particulars on			
ſ	(6) Applicant given notice for further or correct particulars on			
ſ	(7) Applicant given notice for further (unds on			
	(8) Hotics in column (6) or (7) compiled with on			
04/11/2015	(9) Copy ready on			
QU 11/1	(10) Copy delivered or sent on			
829	(17) Court-fee pasis.			

Anil Ville

as appropriately

प्रति,

माननीय मुख्य अभियंता महोदय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त क्षार्यालय रायपुर (छ.ग.) 28 29 28 29

विषय:--

रिट अपील नं. 524/2015 पक्षकार मोहम्मद शहादत अंसारी विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.11.2015 के परिपालन में यह अभ्यावेदन सादर प्रस्तुत है।

reflections.

महोद्रय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मुझे दिनांक 15.12.2000 को दंतेवाड़ा छ.ग. से झाबुआ म.प्र. में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे का आदेश पारित किया था तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा दिनांक 21.10.2001 को मुझे भारमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया था। तदउपरांत उपसचिव छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा राज्य पुर्नगठन प्रकोष्ट भोपाल से अंतिम सूत्री प्राप्त होने तक आगामी आदेश पर्यन्त म.प्र. राज्य हेतु भारमुक्त ना किया जावे का आदेश पारित किया था। तदउपरांत में छ.ग. में ही लगातार कार्य कर रहा हूँ तथा पदस्थ हूँ।

मेरे द्वारा दिनांक 18.10.2011 को आपके संगक्ष वरिष्ठता सूची में नाम जुड़ने बाबत् आदेदन पत्र प्रस्तुत किया था तद्उपरांत दिनांक 10.03.2015 को राज्य आबंटन के संबंध में भी आवेदन प्रस्तुत किया था, तद्उपरांत मुझे दिनांक 17.08.2015 को अचानक इतने सालों बाद मध्य प्रदेश राज्य के लिये भारमुक्त करें तथा भारमुक्त क्यों नहीं किया गया है कि जानकारी भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें का पत्र प्रेषित किया गया है। तद्उपरांत मेरे द्वारा कईयों बाद इतने वर्षों तक छ ग. में कार्य एवं सेवा देने एवं वर्तमान में मेरा सेवानिवृत्ति भी बहुत ही कम समय बचा है इसलिये बाकी समय को भी छ ग. में ही कार्य पर रखा जावे एवं भारमुक्त ना करने की प्रार्थना की गई थी।

मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छ में एक याचिका भी प्रस्तुत किया गया था जो पोषणीय नहीं होने पर निरस्त किया था, तद्उपरांत उपरोक्त आदेश के खिलाफ माननीय डिकीजन बेंच में रिट अपील नं. 524/2015 प्रस्तुत किया था जो विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु तथा माननीय डिकीजन बेंच उच्च न्यायालय के स्वीकृति एवं अनुमित के बाद अपने रिट अपील वापस अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की शर्त पर ली गई एवं उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न है तथा यह अभ्यावेदन सादर प्रस्तुत है तथा मुझे अब मध्यप्रदेश प्रांत पर भारमुक्त ना किये जाने की कृपा किये जावें।

दिनांक :- 08.11.2015

प्रतिलिपि :- श्रीमान सिव्हा महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग : मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। ०६ \ १६ २०६८ आवेदक मो. शहादत अंसारी प्र..सहायक अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दंतेयाड़ा जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छ.ग.) (32)

ANNEXURE P-12

## छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

/ / आदेश / /

रायपुर, दिनाँक ॐ ∕ 11 ∕ 2015

क्रमांक 79.34 /3277/R-5323/22/वि—3/ग्रायांसे /2015 ः मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5989/1432/22/वि—3/ग्रायांसे /2000, दिनाँक 15 दिसम्बर, 2000 अनुसार श्री मो. शहादल अंसारी, उपअभियंता द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विकल्प प्रस्तुत किया गया था, अतः इन्हें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत् जिला झाबुआ (म.प्र.) में पदस्थ करते हुए, कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

- 2/ अतः जनपद पंचायत दतेवाड़ा के आदेश क्रमांक 1446/ज.पं./स्था/2001, दिनाँक 31.10.2001 अनुसार श्री एम.एस.असारी, उपअभियंता को म.प्र. राज्य के लिए भारमुक्त कर दिया गया था।
- 3/ छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5245/वि–2/ग्रा.सां.से./2001, रायपुर, दिनाँक 28.11.2001 अनुसार अंतिम राज्य आवंटन सूची प्राप्त होने तक श्री अंसारी, उपअभियंता को भारमुक्त नहीं किया जाना था।
- 4/ श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता सेवानिवृत्ति दिनाँक 30.06.2017 है।
- 5/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा सभाग, वंतेवाड़ा, जिला वंतेवाड़ा को मध्यप्रदेश राज्य के लिए भारमुक्त किया जाता है।
- 6/ वे अपना उपस्थिति मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भौपाल को देवें।

छत्तीस्गढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(एस.एल.नायक) संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

निरंतर...2...

E/A. in: -2017/Wheel -2016/American Business State Said American

(<u>2</u>6)

//2//



पृ.क. २५९८ / 3277 / R-5323 / 22 / वि—3 / ग्रायांसे / 15 रायपुर, दिनाँक ३०/ 11 / 2015 प्रतिलिपि :--

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विमाग, महानदी भवन, नया संयपुर।
- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
- विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
- संभागीय आयुक्त, बस्तर (छ.ग.)।
- कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.)।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा (छ.ग.)।
- मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, रायपुर /भोपाल।
- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा, बस्तर मण्डल, जगदलपुर।
- 9. कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यात्रिकी सेवा, दंतेवाड़ा संभाग, दंतेवाड़ा।

10.श्री एम.एस.अंसारी, उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

> संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

EMLIN-2017/Word-2017/Orden/Emphild S Arrant Rate hafter

ANNEXURE P-13

प्रति,

माननीय प्रमुख अभियन्ता महोदय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय विन्ध्याचल भवन भोपाल

विषय:- छत्तीसगढ़ में शेष सेवा अवधि को पूर्ण करने की अनुमति प्रदान करने बाबत् प्रार्थना पत्र।

संदर्भः— मेरा आवेदन पत्र दिनांक 10.09.2015 माननीय विकास आयुक्त महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।

## महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सविनय निवेदन है कि -

- यह कि मेरी प्रथम नियुक्ति 09/1981 में विकास खण्ड बजाग जिला मण्डला में उप अभियंता के पद पर हुई।
- 2. 09/1981 से 07/1984 तक विकास खण्ड बजाग जिला मण्डला में उप अभियंता के पद पर रहा।
- 07 / 1984 से 09 / 1990 तक विकास खण्ड अमरपुर जिला मण्डला में कार्यरत रहा!
- 4. 09 / 1990 से 10 / 1995 तक विकास खण्ड अंतागढ़ जिला बस्तर (छ०ग०) में कार्यरत रहा।
- 5. 10/1995 से 02/2012 तक जिला दंतेवाड़ा में उप अभियंता एवं 02/2012 से आज तक सहायक अभियंता के पद पर विभिन्न उप संभागों में पदस्थ हूँ।
- म.प्र. शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक / 5989 / 1432 / 22 / वि–3 / ग्रा.या.से. / 2000 भोपाल दिनांक 15 दिसम्बर 2000 के अनुसार म.प्र. आबंटित किया गया था।

al susai

32

7. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश प्र.क. 5245/वि-2/ग्रा.या.से/2001 रायपुर दिनांक 28.11.2001 को आगामी आदेश पर्यन्त तक म.प्र. राज्य हेतु भार मुक्त ना किया जाने का आदेश दिया गया।

आदेशानुसार छ0ग0 के जिला दन्तेवाड़ा में विगत 20 वर्षों से अधिक सेवा अवधि से रहने के कारण मेरा परिवार छत्तीसगढ़ में स्थापित हो गया है।

अतः आप से विनम्र प्रार्थना है कि मानवीय आधार पर शेष सेवा अवधि छत्तीसगढ़ में ही रह कर पूरी करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद,

दिनांकः........। १२०१६

आवेदिके, १००८० मो० शहादत अंसारी प्र.सहायक अभियंता

ग्रा.या.सेवो संभाग, दन्तेवाङा (छ०ग०)

## IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

I.A. No. 1 /2016

<u>I</u>

Writ Petition (S) No. 18 of 2016

<u>PETITIONER</u>

Mohd. Shahadat Ansari

**VERSUS** 

RESPONDENTS

State of Chhattisgarh & others

## APPLICATION FOR GRANT OF AD-INTERIM RELIEF

The following is most respectfully submitted on behalf of the petitioner:-

- {1} That, the petitioner has filed the instant writ petition, against the impugned allocation order dated 15.12.2000 and impugned relieving order dated 30.11.2015.
- (2) That, the petitioner has a very good case in his favour & hope to succeed in it.
- (3) That, the contents narrated in the annexed writ petition may kindly be considered for the adjudication of this application also.
- (4) That, if the effect and operation of the impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015 will not be stayed by this Hon'ble Court, then the petitioner will suffer irreparable loss.
- (5) That, an affidavit in support of this application is filed herewith.

#### PRAYER

It is therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to stay the effect & operation of impugned orders dated 15.12.2000 and 30.11.2015, till the final disposal of this petition, in the interest of justice.

BILASPUR

(BHARAT RAJPUT)

DATE: 03.01.2016

COUNSEL FOR THE PETITIONER







# IN THE HON'BLE HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR (C.G.)

Writ Petition (S) No. of 2016

<u>PETITIONER</u>

Mohd. Shahadat Ansari

<u>VERSUS</u>

<u>RESPONDENTS</u>

State of Chhattisgarh & others

## <u>AFFIDAVIT</u>

I, Mohd. Shahadat Ansari, aged about 59 years, son of late Jamaluddin, posted as Assistant Engineer, Rural Engineering Services, Dantewada Division, District-Dantewada (C.G.), do hereby solemnly affirm on oath as under:-

- That, I am the petitioner in the instant writ petition and as such I am fully conversant with the facts and circumstances of the case.
- That, the accompanying application for grant of interim relief, has been drafted as per my instructions and the contents thereof from paras 1 to 5 are true and correct to my personal knowledge based on records.

<u>VERIFICATION</u>

AND BEFORETTY

I, Mohd. Shahadat Ansari, the above named deponent do hereby verify that the contents of this affidavit from para 1 & 2 are true and correct to my personal knowledge. Hence verified and signed on 03.01.2016 at Bilaspur (C.G.)

identified by the

**\*** • • 4

**-**...l

.

. \_\_\_\_

# (n)

## मध्यप्रदेश शासन

## पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

// आदेश //

क्रमांक/<sup>3</sup> *05*| /22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक $\delta / 03/2016$ 

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अधीक्षण यंत्री, या.वां.से. मण्डल जकतपुर को मान. उच्च न्यायालय विलासपुर (छ.ग.) में डब्ल्यू पी. (एस) क. 18/2016 श्री मोहम्मद शहादत अंसारी, सहायक यंत्री गा.यां.से. दंतेवाडा, छत्तीसगढ विरुद्ध छत्तीसगढ शासन एवं अन्य में म0प्र0 राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी एय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त स्संगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगां।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार कर सकेगा।
- 6- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात/पत्र भेजे :-
  - क. वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
  - ख. प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - ग. उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है।
  - घ, मामले के निराकरण के लिए आवश्यक कागजातां/पत्रों की प्रक्रिया इसमें वाद की सुनवाई की तारिख भी वर्णित होना चाहिये।
- 7- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्त्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8- जब भी कोई आदेश/निर्देश विर्निष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।



- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- 11- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है। अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाये।
- 12- प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता की हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा हुआ न रह जाये।
- 13- न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिदिष्टि दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है। ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।

(एस.आर. चौधरी)

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पु.का./

/22/वि-16/वि.ਸ./2016

भोपाल, दिनांक $\delta$  /03/2016

प्रतितिपि:-

- 1. महाधिवक्ता, मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) 📗
- 2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
- 3. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यातय, म.प्र. भोपाल।
- 4. प्रभारी अधिकारी, <u>अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. मण्डल जबलपुर</u> की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण में अधिकरण से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता आगामी कार्यवाही हेतु सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबदावा प्रस्तुत कर शासन को भैजने हेतु अग्रेषित।

े( मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग